



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239202  
CG-DL-E-29092022-239202

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]  
No. 472]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ASVINA 6, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.099.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 207 और धारा 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 है।  
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (छ) में, "किए गए व्यक्ति से" शब्दों के स्थान पर "कोई व्यक्ति या बोर्ड द्वारा विनियम 13 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था" शब्द रखे जाएंगे।
- मूल विनियम के विनियम 4 में,-
  - विद्यमान विनियम को उप-विनियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और
  - उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) बोर्ड द्वारा विनियम 13 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था तब दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने की पात्र नहीं होगी, यदि वह संस्था और/या उसका कोई भी यथास्थिति, भागीदार या निदेशक, उप-विनियम (1) के खंड (छ) के अधीन उपयुक्त और समुचित व्यक्ति नहीं हैं।”

4. (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

5 मूल विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) ऐसी दिवाला व्यावसायिक संस्था, जो विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, दो लाख रूपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस सहित, दूसरी अनुसूची के प्ररूप कक में बोर्ड को आवेदन कर सकेगी।”

6. मूल विनियम के विनियम 7 के उप-विनियम (2) में,-

(i) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जक) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था, दिवाला व्यावसायिक है तो वह केवल ऐसे, यथास्थिति, भागीदार या निदेशक को, जो एक दिवाला व्यावसायिक है और जो असाइनमेंट के लिए विधिमान्य प्राधिकार-पत्र धारण करता है, उसकी ओर से हस्ताक्षर करने और कार्य करने के लिए अनुज्ञात करेगी।”

(ii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु खंड (खक) और खंड (घ) ऐसे दिवाला व्यावसायिक को लागू नहीं होंगे, जो दिवाला व्यावसायिक संस्था है।”

7. (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

8. (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

9. मूल विनियमों के विनियम 12 के उप-विनियम (1) में,-

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उसका उद्देश्य दिवाला व्यावसायिकों को सहायता सेवाएं प्रदान करना या दिवाला व्यावसायिक के रूप में क्रियाकलाप चलाना या दोनों हैं।”

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) उसके अधिकांश साधारण शेयर और मतदान अधिकार ऐसे दिवाला व्यावसायिकों द्वारा धारित हैं, जो यदि वह एक कंपनी है तो उसके निदेशक हैं।”

10. मूल विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (ख) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकित है तो इस खंड के अधीन सूचना ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को भी व्यावसायिक सदस्यों के उसके रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए दी जाएगी।”

(ii) खंड (ग) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि यदि दिवाला व्यावसायिक संस्था किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के पास नामांकित है तो इस खंड के अधीन सूचना ऐसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी को भी व्यावसायिक सदस्यों के उसके रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए दी जाएगी।”

11. (हिन्दी पाठ में संशोधन अपेक्षित नहीं है)

12. मूल विनियमों की दूसरी अनुसूची में, प्ररूप क के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## “प्ररूप कक

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 6(1क) के अधीन]

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक(आई.पी.प्रभाग)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

**विषय: दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।**

महोदय/महोदया

1. मैं, जो कि इस प्रयोजनार्थ सम्यक् रूप से प्राधिकृत हूं, .....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से, जो कि बोर्ड द्वारा मान्यता संख्यांक..... के साथ दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यताप्राप्त है, जिसका रजिस्ट्रीकृत पता..... (आवेदक संस्था का रजिस्ट्रीकृत पता) है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 (आई.पी. विनियम) के विनियम 6(1क) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 207 के अधीन दिवाला व्यावसायिक के रूप में मान्यता के लिए आवेदन करता हूं। मैं एतद्वारा इस संबंध में सबूत(बोर्ड/भागीदार के संकल्प की प्रमाणित प्रति) संलग्न करता हूं कि मैं यह आवेदन करने के लिए और इस बाबत बोर्ड के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हूं।

**अतिरिक्त जानकारी**

2. क्या आवेदक संस्था किसी अन्य कंपनी या निगमित निकाय की सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयुक्त है? (हां/नहीं)  
यदि हां तो कृपया ऐसी कंपनी या निगमित निकाय का पूरा ब्यौरा दें।

3. क्या आवेदक संस्था और/या यथास्थिति, उसका कोई भागीदार या निदेशक, आई. पी. विनियमों के विनियम 4 के निबंधनानुसार उपयुक्त और उचित व्यक्ति है? (हां/नहीं)

यदि हां तो कृपया वर्तमान स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दें।

4. कृपया ऐसी अतिरिक्त जानकारी दें जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सुसंगत हो सकती है।

**प्रतिज्ञान**

5. मैं,..... (आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि आवेदक संस्था ने आई.पी. विनियमों के विनियम 12 और 13 का हर समय अनुपालन किया है।

6. मैं,.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि आवेदक दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का पात्र है।

7. मैं,.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से यह प्रतिज्ञान करता हूं कि –

(i) इस आवेदन में अंतर्विष्ट सभी जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है,

(ii) इस आवेदन के प्रयोजनार्थ सुसंगत कोई भी तात्विक जानकारी छिपाई नहीं गई है, और

(iii) इस आवेदन के अनुसरण में प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण तब संक्षिप्त रूप से रद्द किया जा सकेगा यदि इसमें प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी प्रक्रम पर तात्विक दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है।

(iv) यदि इसमें प्रस्तुत की गई कोई जानकारी किसी प्रक्रम पर तात्विक दृष्टि से मिथ्या या भ्रामक पाई जाती है तो आवेदक संस्था की मान्यता रद्द की जा सकेगी।

8. मैं, यह पुष्टि करता हूं कि लागू फीस का संदाय बोर्ड को.....(कृपया संदाय किए जाने की तारीख सहित संदाय का ब्यौरा प्रविष्ट करें) द्वारा कर दिया गया है और उसके संबंध में सबूत संलग्न करता हूं।

9. यदि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है तो मैं.....(आवेदक संस्था का नाम) की ओर से संहिता उसके अधीन जारी किए गए नियमों, विनियमों या परिपत्रों या दिशानिर्देशों और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का, जो बोर्ड द्वारा

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय या उसके पश्चात् अधिरोपित किए जाएं, अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....)

स्थान: (दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.....)

तारीख: (दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक.....)

### संलग्नक

1. बोर्ड/भागीदारों के उस संकल्प की प्रमाणित प्रति, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को यह आवेदन करने और बोर्ड के साथ इस बाबत पत्र-व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
2. मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति।
3. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा जारी किया गया व्यावसायिक सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिवाला व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक.....)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का नाम.....)

(दिवाला व्यावसायिक संस्था का मान्यता संख्यांक.....)

स्थान:

तारीख:”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./293/2022-23]

**टिप्पण:** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 424, तारीख 23 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.003, तारीख 23 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 462, तारीख 20 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.097, तारीख 20 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किए गए।

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2022

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Fourth Amendment) Regulations, 2022**

**No. IBBI/2022-23/GN/REG099.**—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (g), for the words "an individual", the words "an individual or an insolvency professional entity recognised by the Board under regulation 13" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 4,

(i) the existing regulation shall be renumbered as "4.(1)", and

(ii) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2) No insolvency professional entity, recognised by the Board under regulation 13, shall be eligible to be registered as an insolvency professional, if the entity and/or any of its partner or director, as the case may be, is not fit and proper person under clause (g) of sub-regulation (1)."

4. In the principal regulations, in sub-regulation (4) of regulation 6, in clauses (bb) and (e) of sub-regulation (2) of regulation 7, in sub-regulation (1) of regulation 8 and in clause 3, clause 5, clause 8B, clause 9, clause 13, clause 14, clause 15A, clause 16, clause 25B, clause 26 of the First Schedule, for the word "his", the word "its" shall be substituted.

5. In the principal regulations, after sub-regulation (1) of regulation 6, the following shall be inserted namely:-

"(1A) An insolvency professional entity eligible for registration as an insolvency professional under sub-regulation (2) of regulation 4 may make an application to the Board in Form AA of Second Schedule along with a non-refundable application fee of two lakh rupees."

6. In the principal regulations, in regulation 7, in sub-regulation (2),

(i) after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ha) in case an insolvency professional entity is an insolvency professional, it shall allow only a partner or director, as the case may be, who is an insolvency professional and holds a valid authorisation for assignment to sign and act on behalf of it;"

(ii) after clause (i), the following Proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that clause (ba) and clause (d) shall not be applicable to an insolvency professional which is insolvency professional entity."

7. In the principal regulations, in clause (ca) and clause (g) in sub-regulation (2) of regulation 7 and in clause 8B, clause 8C, clause 8D, clause 21, clause 25A, clause 25B, clause 25C of the First Schedule, for the word "him", the word "it" shall be substituted.

8. In the principal regulations, in regulation 7A, for the word, "he", the word "it" shall be substituted.

9. In the principal regulations, in regulation 12, in sub-regulation (1),

(i) clause (a) shall be substituted as under, namely:-

"(a) its objective is to provide support services to insolvency professionals or to carry on the activities of an insolvency professional or both."

(ii) clause (c) shall be substituted as under, namely:-

“(c) majority of its equity shares and voting rights are held by insolvency professionals, who are its directors, in case it is a company;”

10. In the principal regulations, in regulation 13, in sub-regulation (2),

(i) in clause (b), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case the insolvency professional entity is enrolled with an insolvency professional agency, the intimation under this clause shall also be made to such insolvency professional agency to update its register of professional members.”

(ii) in clause (c), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that in case the insolvency professional entity is enrolled with an insolvency professional agency, the intimation under this clause shall also be made to such insolvency professional agency to update its register of professional members.”

11. In the principal regulations, in clause 4, clause 8C, and clause 9 of the First Schedule, for the word “himself”, the word “itself” shall be substituted.

12. In the principal regulations, in Second Schedule, after Form A, the following form shall be inserted, namely:-

#### “FORM AA

[Under Regulation 6 (1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The Executive Director (IP Division)

Insolvency and Bankruptcy Board of India

**Sub.: Application for registration as an insolvency professional.**

**Sir/Madam,**

1. I, being duly authorised for the purpose, hereby apply on behalf of [*name of the applicant entity*], recognised by the Board as an insolvency professional entity with recognition number [*recognition number*], having registered address at [*registered address of the applicant entity*] for registration as an insolvency professional under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with regulation 6 (1A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 (IP Regulations). I hereby enclose proof (certified copy of Board/ Partner’s Resolution) that I am authorised to make this application and correspond with the Board in this respect.

#### ADDITIONAL INFORMATION

2. Whether the applicant entity is a subsidiary, joint venture or associate of another company or body corporate? (Yes/ No)

If yes, please give complete details of such company or body corporate.

3. Whether the applicant entity and/ or any of its partner or director, as the case may be, is a fit and proper person in terms of regulation 4 of IP Regulations? (Yes/ No)

If yes, please give complete details along with current status.

4. Please provide any additional information that may be relevant for grant of certificate of registration.

#### AFFIRMATION

5. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], affirm that the applicant entity has at all times complied with regulations 12 and 13 of the IP Regulations.

6. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], affirm that the applicant is eligible to be registered as an insolvency professional.

7. I, on behalf of [*name of the applicant entity*], hereby affirm that –

- i. all information contained in this application is true and correct in all material respects,
- ii. no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
- iii. registration granted in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.

iv. the applicant entity may be derecognised if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.

8. I, hereby confirm that the applicable fee has been paid to the Board vide [*please enter the payment details along with date of making the payment*] and enclose proof thereof.

9. If granted registration, I, on behalf of [*name of the applicant entity*], undertake to comply with the requirements of the Code, the rules, regulations or circulars or guidelines issued thereunder, and such other terms and conditions as may be imposed by the Board while granting the certificate of registration or subsequently.

Yours faithfully,

Authorised Signatory

(Name)

(Designation)

(Insolvency Professional Registration Number of Authorised Signatory -----)

(Name of the Insolvency Professional Entity-----)

(Recognition Number of the Insolvency Professional Entity----)

Place:

Date :

#### ATTACHMENTS

1. Certified copy of Board / Partners' Resolution authorising the person to make this application and correspond with the Board in this respect.

2. Copy of Certificate of Recognition.

3. Copy of Certificate of Professional Membership issued by the Insolvency Professional Agency

Yours faithfully,

Authorised Signatory

(Name)

(Designation)

(Insolvency Professional Registration No. of Authorised Signatory-----)

(Name of the Insolvency Professional Entity-----)

(Recognition Number of the Insolvency Professional Entity----)

Place :

Date :...”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./293/2022-23]

**Note:** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG003 dated 23<sup>rd</sup> November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 424 on 23<sup>rd</sup> November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Third Amendment) Regulations, 2022 published *vide* notification No. IBBI/2022-23/GN/REG097 dated 20<sup>th</sup> September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 462 on 20<sup>th</sup> September, 2022.